दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/487 10.09.2025

प्रति

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के पैरा 4.53 में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ: डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना संख्या 22/2025 दिनांक 09 सितंबर 2025

आपको सूचित किया जाता है कि डीजीएफटी कार्यालय ने प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के पैरा 4.53 में एक नया उप-पैराग्राफ 4.53(ई) जोड़कर संशोधन के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।

नये पैरा 4.53 (ई) के अनुसार:

"अप्रयुक्त और हस्तांतरित न किए गए डीएफआईए में ऐसे संशोधनों के लिए आवेदन, जो प्रणाली-संबंधी और सुधारात्मक प्रकृति के हों, एएनएफ 4जी में दायर किए जाएँगे। ऐसे किसी भी संशोधन के लिए कार्यालय प्रमुख की स्वीकृति आवश्यक होगी।"

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : व्यापार में आसानी के लिए डीएफआईए में कुछ संशोधनों की अनुमति दी गई है।

नीचे कुछ उदाहरण दिये गये हैं:

क) माप की इकाई में सुधार
ख) आयातित वस्तु के आईटीसी एचएस कोड में सुधार
ग) आयातित वस्तु के मूल्य में सुधार

कृपया अपने संदर्भ के लिए नीचे सार्वजनिक सूचना का लिंक देखें।

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20250910024709.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है.

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल